क्रमांक 3077-5 जी 0एस 0-1-74/13841

सेवा में,

- सभी विभागाध्यक्ष ग्रम्बाला तथा हिसार मण्डल के ग्रायुक्त, सभी उपायुक्त तथा सभी उपमण्डल ग्रधिकारी, हरियाणा ।
- रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा, उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीण, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़, 13-6-74 ।

विषय : चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लिपिकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त करने के बारे में। महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपन्न कमांक 1507-5 जी 0 एस 0-1-73/8724, दिनांक 30 मार्च, 1973 की ओर दिलाऊं जिसमें कि यह हिदायतें जारी की गई थीं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो अपनी योग्यताएं improve कर लें और जिनका काम तथा आचरण संतोषजनक हो उन्हें उत्साह देने के लिए लिपिक के पद पर पदोत्रत किया जाये यदि वे मैट्रिक पास हों तथा उन्होंने श्रेणी चार के किसी पद पर कम से कम दो वर्ष काम किया हो । बाद में यह हिदायतें हरियाणा सरकार के पन्न कमांक 3049-5 जी 0एस 0-1-73/14393, दिनांक 5-6-73 द्वारा श्रेणी III के उन कर्मचारियों (रैस्टोरर, गैस्टेटनर आप्रेटर आप्रिट की के केसों में भी लागू की गई, जिनका वेतनमान लिपिक के वेतन मान से कम है ।

2. इस बारे में सरकार ने पुनः विचार किया है तथा ग्रव यह निर्णय लिया है कि ऐसे श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार के कर्मचारियों को जिपिक के पद पर पदोन्नित तभी दी जाए यदि उन्होंने ऐसे किसी पद पर कम से कम पांच वर्ष काम किया हो, दूसरे शब्दों में 2 वर्ष के ग्रनुभव की शर्त को 5 वर्ष के ग्रनुभव में बदल दिया गया है। हरियाणा सरकार के परिपत्र दिनांक 30-3-73 में जारी को गई हिदायतों को इस हद तक ही संशोधित समझा जाए तथा इस बारे में दूसरी निर्धारित शर्ते पहले की ही भांति लागू रहेंगी।

भवदीय, हस्ता/-उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवायें, कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार